न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 54/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 बाबूलाल पुत्र लच्छाराम 2 शंकरलाल पुत्र लच्छाराम 3 हिम्मतमल पुत्र लच्छाराम 4 सोहनलाल पुत्र लच्छाराम जातिगण सुथार निवासीगण सेसली तहसील बाली		1 स्व. रामलाल पुत्र लच्छाराम के का0मु0 1.1 दिनेश पुत्र रामलाल 1.2 छोगालाल पुत्र रामलाल 1.3 फुटरमल पुत्र रामलाल जातिगण सुथार निवासीगण सेसली तहसील बाली 2 राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री लक्ष्मण के0 चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1.1 से 1.3

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 26.10.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 45/2007 बाबूलाल वगैरा बनाम स्व0 रामलाल के का0मु0 दिनेश वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्व पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1.1 से 1.3 द्वारा अपीलाण्ट एवं अन्य सहखातेदारान् के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विवादित आराजी में स्वयं का 1/36वां हिस्सा घोषित कराने का अनुतोष चाहा। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जो सम्मन जारी किए गए, वे सम्मन अपीलाण्ट से विधिवत तामील ही नहीं हुए, क्योंकि अपीलाण्ट ग्राम सेसली में स्थाई रूप से निवास नहीं कर जोगेश्वरी, मुम्बई में निवास करता है। इसके बावजूद भी तामील कुनिन्दा ने अपीलाण्ट के नाम जारी सम्मत को आबाद मकान पर चस्पांदगी बताते हुए रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय द्वार स्वीकार करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई। इसके पश्चात वादी का वाद अदम पैरवी में खारिज़ हो गया, जिसे रेस्टोर करवाने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उस प्रार्थना पत्र में भी अपीलाण्ट की तामील हुए बिना ही प्रकरण को रेस्टोर कर दिया गया तथा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध पूर्व में जारी एकपक्षीय आदेश को बहाल रखते हुए दिनांक 19.04.2006 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने परदिनांक 30.06.2006 को प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की गई। चूंकि उक्त निर्णय एवं डिक्री अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से पारित हुई थी, जिसे अपास्त कराने हेतु अपीलाण्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलाण्ट संख्या 1 की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा जिरह भी की गई। इसके पश्चात पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान में नियत करते हुए अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है। चूंकि प्रकरण में जो तामील दर्शाई गई थी, वह सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत सम्यक तामील की परिभाषा में शुमार नहीं थी, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तामील के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिन्हे नजरअन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन तामील करवाए गए है, वे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानानुसार सम्यक् तामील की परिभाषा में शुमार होने से तामील मानते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की एवं उसकी पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। जैर अपील निर्णय राजस्व लोक अदालत में पारित हुआ है, जिसकी अपील अनुज्ञेय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 13 के तहत सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है, जिसकी अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 30.08.2016

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को पेश हुई है, जिसमें एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायोचित नहीं होने से नोटिस जारी किया जाना अंकित किया है। इसके पश्चात भी दिनांक 04.01.2018 को पत्रावली नियत नहीं होने के बावजूद अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय रूप से सुनवाई करते हुए न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी आदेश को संशोधत करते हुए स्थगन आदेश पारित किया है, जिसमें रेस्पोडेन्ट को सुना ही नहीं गया एवं न ही आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना हुई। अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष जो वाद चला, उसमें 40 पक्षकार थे, जिन्हे अपीलाण्ट द्वारा अपील में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया। इस कारण पक्षकारान के असंयोजन एवं कुसंयोजन के कारण भी अपील पोषणीय नहीं है। अतः इन समस्त कारणों से अपीलाण्ट की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज़ की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में मुख्य रूप से इस बिन्दु को अवधारित किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तामीली प्रक्रिया अपनाई है, जिसे आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हुई है, वह प्रक्रिया विधि अनुसार सम्यक तामील की परिभाषा में शुमार होती है अथवा नहीं ? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद में अपीलाण्ट के नाम जो सम्मन जारी किए गए थे, वे सम्मन अपीलाण्ट के आबाद मकान पर चस्पा किए गए है। इस बिन्दु के विधिपूर्ण निस्तारण हेतु तामीली प्रक्रिया को रेखांकित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में रेवेन्यू कोर्ट्स मैन्युअल (भाग–2) के अध्याय 3 के खण्ड (ग) तथा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 16, 17, 18 और परिशिष्ट (ख) का फार्म संख्या 11 व साथ ही आदेश 3 नियम 5 में सम्मन के तामील की प्रक्रिया विहित है। इस सम्बन्ध में जो प्रावधान विहित है, वे इस प्रकार हैं –

आदेश 5 नियम 15 – जहॉ तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के व्यस्क सदस्य पर की जा सकेगी –– जहां किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान में उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है, और समन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिये सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नही हैं, वहा समन की तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर, चाहे वह स्त्री हो या पुरूष; की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा हो। (स्पष्टीकरण – इस नियम के अर्थ में सेवक कुटुम्ब का सदस्य नही है)

आदेश 5 नियम 16 – वह व्यक्ति जिस पर तामील की गई है, अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित करेगा –– जहॉ तामील करने वाला अधिकारी समन की प्रति स्वयं प्रतिवादी को, या उसके निमित्त अभिकर्ता को या किसी अन्य व्यक्ति को, परिदत्त करता है या निविदत्त करता है, वहॉ जिस व्यक्ति को प्रति ऐसे परिदत्त या निविदत्त की गई है, उससे वह यह अपेक्षा करेगा कि वह मूल समन पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति पर अपने हस्ताक्षर करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश 5 नियम 17 – जब प्रतिवादी तामीली का प्रतिग्रहण करने से इन्कार करे या न पाया जाए, तब प्रक्रिया –– जहॉ प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है, या जहॉ तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात प्रतिवादी को न पा सके (जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नही है) और ऐसा कोई अभिकर्ता नही है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिये सशक्त है और न ही ऐसा कोई अन्य व्यक्ति है, जिस पर तामील की जा सके, वहॉ तामील करने वाला अधिकारी उस गृह के, जिसमें प्रतिवादी मामूली तौर से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिये स्वयं काम करता है, बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगायेगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियां थी, जिसमें उसने ऐसा किया, कथित होगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदिकोई हो) नाम और पता कथित होगा, जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटायेगा, जिसने समन निकाला था।

आदेश 5 नियम 18 – तामील करने के समय और रीति का पृष्ठांकन –– तीमाल करने वाला अधिकारी उन सभी दशाओं में, जिनमें समन की तामील नियम 16 के अधीन की गई है, उस समय को जब और उस रीति को जिससे समन की तामील की गई थी, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, जिसने उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और जो समन के परिदान या निविदान का साक्षी रहा था, तो उसका नामा और पता कथित करने वाला विवरणी मूल समन पर पृष्ठांकित करेगा या कराएगा या मूल समन से उपाबद्ध करेगा या कराएगा।

आदेश 5 नियम 19 – तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा –– जहां समन नियम 17 के अधीन लौटा दिया गया है, वहॉ तामील करने वाले अधिकारी की परीक्षा उसकी अपनी कार्यवाहियों की बाबत न्यायालय स्वयं या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस दशा में करेगा या कराएगा, जिसमें उस नियम के अधीन विवरणी तामील करने वाले अधिकारी द्वारा शपथ पत्र द्वारा सत्यापित नही की गई है और उस दशा में कर सकेगा या करा सकेगा, जिसमें वह ऐसे सत्यापित की गई है और उस मामले में ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और या तो वह घोषित करेगा कि समन की तामील सम्यक् रूप से हो गई है या ऐसी तामील का आदेश करेगा, जो वह ठीक समझे।

हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट बाबूलाल ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उक्त शपथ पत्र की जिरह में यह जाहिर किया कि ''जिस समय दावा किया, उस समय लच्छाराम जी ससेली में ही रहते थे। लच्छारामजी हमारे साथ ही रहते थे। जी दिनांक 18.05.2004 को हमारे पिताजी जीवित थे तथा घर पर सेवाडी में ही थे। लच्छाराम जी का मकान खुला था।'' इससे यह

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट के पिता लच्छाराम अपीलाण्ट के साथ ही निवास करते थे। अपीलाण्ट द्वारा मुख्य आधार यह लिया गया है कि जिस समय सम्मन तामील दर्शाया गया है, उस समय अपीलाण्ट मुम्बई के जोगेश्वरी में निवास करता था, किन्तु इन तथ्यों को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इसके विपरित जिरह में स्वयं अपीलाण्ट ने माना है कि लच्छाराम वर्ष 2004 में उनके साथ निवास करते थे। इस प्रकार जिन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उनको साबित करने में अपीलाण्ट कामयाब नहीं हुए है। जिन सम्मन को अपीलाण्ट द्वारा सम्यक तामील नहीं होना जाहिर किया कि उन सम्मन को अपीलाण्ट के पिता द्वारा लेने से इन्कार किया है, इस कारण वे सम्मन स्वतन्त्र साक्ष्य की मौजूदगी में आबाद मकान पर चस्पा किए गए है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 5 नियम 15 के तहत सम्यक तामील की श्रेणी में परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त आदेश 5 नियम 19 के तहत जो जांच की गई है, उसमें भी अपीलाण्ट यह साबित करने में असफल रहे है कि जिस समय सम्मन तामील करवाया गया है, उस समय वे मौके पर उपस्थित नहीं होकर जोगेश्वरी में निवास करते हो। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है, जिस व्यक्ति द्वारा जो बिन्दु उठाया जाता है, उसे साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर होता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट स्वयं द्वारा उठाये गए तथ्यों को साबित करने में असफल रहे है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए है, वे सम्माननीय अवश्य है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में निम्न कारणों से चस्पा नहीं होते है – आर0आर0टी0 2013 (2) पेज 985 में यह बिन्दु उद्वरित किया कि "Service of notice by affixing at resident must be supported by two witnesses with recording name & address." इसके अतिरिक्त आर0आर0टी0 2003 (1), आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 1310, आर0आर0डी0 2010 पेज 647 एवं आर0आर0टी0 2002 (1) पेज 553 में भी समग्र रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 5 नियम 20 के उपबन्ध अनुसार सम्मन तामील होने की दशा में तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट आवश्यक है। तामील कुनिन्दा को साक्ष्य में परीक्षित किया जाना आवश्यक है। इन न्यायिक सिद्धान्तों की रोशनी में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है, वह उक्त न्यायिक सिद्धान्तों के तथ्यों से भिन्न है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट के पिता द्वारा सम्मन लेने से इन्कार करने के कारण स्वतन्त्र साक्ष्य की उपस्थिति में सम्मन आबाद मकान पर चस्पा किया गया है एवं जहां तक अपीलाण्ट के पिता की उपस्थिति का प्रश्न है, तो स्वयं अपीलाण्ट द्वारा अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि वे अपीलाण्ट के साथ ही निवास करते थे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो तामीली हुई है, वह आदेश 5 नियम 15 के तहत सम्यक तामील की परिभाषा में शुमार होती है। अब जहां तक तामील कुनिन्दा की परीक्षा का प्रश्न है, तो तामील कुनिन्दा जब फौत ही हो चुका था, तो उसकी परीक्षा का प्रश्नगत किया जाना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वयं अपीलाण्ट भी तामील को अपर्याप्त एवं विधि विरूद्ध साबित करने में असफल रहे है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाली द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 45/2007 बाबूलाल वगैरा बनाम स्व0 रामलाल के का0मु0 दिनेश वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.06.2016 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्ययालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली